"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2004—अग्रहायण 12, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2004

क्रमांक 2730/1804/2004/1/2/लीव.—श्री एम. एस. मूर्ति, भा.प्र.से. को दिनांक 10-12-2004 से 24-12-2004 तक (15 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25-12-2004 एवं 26-12-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मूर्ति, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

3. अवकाश काल में श्री मूर्ति को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मूर्ति अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2004

फा. क्रमांक 5122/3 (बी)/1/2004/21-ब.--मेरिट क्रमांक 1 राज्य शासन, श्री प्रफुल्ल सोनवानी, पिता डॉ. डी. एस. सोनवानी को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2004

क्रमांक 6695/2004/विधि.—राज्य शासन एतद्द्वारा हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर के विशेष अधिकारी प्रोफेसर डॉ. जोस पी. वर्गीस की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है.

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2004

क्रमांक 6696/2004/विधि.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को तत्काल प्रभाव से उनके मूलकार्य के अतिरिक्त हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर का विशेष अधिकारी नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2004

क्रमांक एफ 1-72/31/स्था./जसवि/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मोहम्मद समी, अधीक्षण अभियंता (सिविल) को मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रुपये 16400-450-20000 में स्थानापन्न रूप से, पदोन्नत कर, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य अभियंता, हसदेव कछार बिलासपुर में पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 24 नवम्बर 2004

क्रमांक 13793/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	पताढ़ी प.ह.नं. 07	74.33	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा (छ. ग.).	विद्युत संयंत्र निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 नवम्बर 2004

क्रमांक 13794/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	पहन्दा प.ह.नं. 07	20.47	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा (छ. ग.).	विद्युत संयंत्र निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 नवम्बर 2004

क्रमांक 13795/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	खोड्डल प.ह.नं. 07	77.74	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा (छ. ग.).	विद्युत संयंत्र निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 नवम्बर 2004

क्रमांक 13796/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	सरगबुंदिया प.ह.नं. 03	55.38	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा (छ. ग.).	विद्युत संयंत्र निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2004

क्रमांक क/वा./अ.वि.अ./2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :--

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	मंदिरहसौद प.ह.नं. 73	10.187	क्षेत्रीय प्रबंधक भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, जिला रायपुर (छ.ग.).	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए फ्यूल डिपो की स्थापना बाबत.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 11 मई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बनहर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
17/1	0.162
योग	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-धनागर-भूपदेवपुर मार्ग के किमी 7/8 पर ढोलवा नाला पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 जुलाई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कांटाहरदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.469 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
417/2	0.020
416	0.036
421	0.030
422	0.069
420/2	0.012
423/1	0.028
424	0.012
429	0.012
428	0.012
427	0.004
430/1	0.049
454	0.036
453	0.036
452/1	0.061
461/1	0.061
549	0.08
461/4	0.016
548/3	0.045
548/2	0.073
548/1	0.117
464/1	0.032
539/2	0.012
540/1	0.012
539/3	0.004
538/1	0.008
538/2	0.061
538/3	0.045
531/1	0.036
531/2	0.073
531/4	0.142
529/2 ख	0.081

(1)	(2)
529/4	0.020
527/2	0.053
527/1	0.032
526/4	0.020
526/5	0.040
526/6	0.061
योग 37	1.469

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक 166/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सात सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-बैकुण्ठपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चोपन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
193	0.10
197	0.18
198/3	0.05
269	0.14
429	0.01
426	0.03
428	0.04
425	0.12
276/1	0.01
276/2	0.06
280	0.16
273	0.01
योग	1.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चोपन जलाशय की नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बैकुण्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमीर अली, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनि शाखा), बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2004

क्रमांक 6460/खनिज/चू. पत्थर/विविध/2004.—जिला बिलासपुर की तहसील मस्तुरी के ग्राम मस्तुरी के प. ह. नं. 40 के ख. नं. 572/1 के रकबा 3.00 एकड़ क्षेत्र पर खनिज चूना पत्थर (गौण खनिज) का उत्खनि पट्टा स्वीकृत किया गया है, किन्तु पट्टेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन न करने के कारण कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 19-7-2004 द्वारा निरस्त किया गया है.

अनुसूची

क्रमांक (1)	ग्राम (2)	प.ह.नं. (3)	तहसील (4)	खसरा नंबर (5)	रकबा (6)
1.	मस्तुरी	40	मस्तुरी	572/1	3.00 एकड़

विकास शील,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2004

क्रमांक-एफ/134/न.पा./रानिआ/समय कार्यक्रम/2004/2292.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-14 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-20 (2) (क) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगरपालिक निगम जगदलपुर के आम निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

परिशिष्ट-1

क्र. (1)	कार्यवाही (2)	संबंधित नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)
1.	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	21, 22	08-12-2004
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन	22 "क"	08-12-2004
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	16	08-12-2004

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख	21 (क)	14-12-2004 अपरांह 3.00 बजे
3.	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	21 (ख)	15-12-2004
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख	21 (ग)	17-12-2004 अपरांह 3.00 बजे
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	31, 32	17-12-2004
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21 (घ)	30-12-2004
7.	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा	21 (ङ)	01-01-2005

परिशिष्ट-2

नगरपालिका आम निर्वाचन वर्ष-2004

नगरपालिक निगम जगदलपुर जिला बस्तर का निर्वाचन 2004

क्रमांक	जिला	नगरपालिका का नाम	वार्डों की संख्या
1.	बस्तर	नगरपालिक निगम जगदलपुर	40
		योग	40

हस्ता./-
(ओंकार सिंह)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग.